राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(प्रशासनिक सुधार अनुभाग-4)

क्रमांक प0 5(13)प्र0सु0/4/92 जयपुर, दिनांक 20 अक्टूबर, 92

परिपत्र

विषय :- समय की पाबंदी ।

अधिकारियों/कर्मचारियों की सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा एक अध्यतीत परिपत्र क्रमांक प0 22(2)प्र0सु0/1/83 दिनांक 11-4-90 प्रसारित कर समस्त शासन सचिवों/विशिष्ठ शासन सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे इन निर्देशों की कड़ाई से पालना करायेंगे तथा विलम्ब से कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे । इस परिपत्र के निर्देशों को पुन: नीचे उद्धरित किया जाता है :-

"(क) कार्यालय में उपस्थिति का समय 10.00 बजे है । अत: सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को 10.00 बजे ही कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है ।

(ख) जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में 10.10 बजे तक उपस्थित नहीं होंगे उनके नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में क्रोस (x) लगा दिया जायेगा ।

(ग) सभी अधिकारी/कर्मचारी भोजनकाल 1.30 से 2.00 बजे तक ही रखें तथा इससे पहले व बाद में कार्य स्थल न छोड़ें ।

(घ) प्रत्येक क्रोस के लिए आधे दिन का अवकाश काट लिया जायेगा ।

(ङ) यदि वर्ष (कलेण्डर वर्ष) की समाप्ति के पूर्व किसी अधिकारी/कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश समाप्त हो जाता है तो उससे उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन पत्र भरवाया जाकर उपार्जित अवकाश काटा जावेगा । यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।

(च) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी माह में 3 बार विलम्ब से उपस्थित हो (तीन बार क्रोस) तो वह आदतन विलम्ब से उपस्थित होने वाला अधिकारी/कर्मचारी माना जावेगा और उसके विरुद्ध

...क्रमश: पृष्ठ 2